भारत सरकार

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय

**राज्‍य सभा**

**अतारांकित प्रश्‍न संख्‍या 463**

दिनांक 13 दिसंबर, 2018 को उत्‍तर के लिए

**‘मी-टू’ अभियान के मामलों की जांच हेतु न्यायिक पैनल**

**463. श्री टी॰ जी॰ वेंकटेशः**

**श्री संजय राउतः**

क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या यह सच है कि मंत्रालय ने ‘मी-टू’ अभियान की वजह से सामने आने वाले मामलों तथा यौन उत्पीड़न के मामलों की जांच करने के लिए न्यायिक पैनल गठित करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) अब तक दर्ज किए गए मामलों का ब्यौरा क्या है तथा इनके शीघ्र समाधान के लिए क्या कार्रवाई शुरू की गई है; और

(घ) न्यायिक पैनल कब तक गठित हो जाएगा और इसके गठन में यदि कोई विलंब हो रहा है, तो उसके क्या कारण हैं?

**उत्‍तर**

डा. वीरेंद्र कुमार महिला एवं बाल विकास मंत्रालय में राज्‍य मंत्री

(क) : जी नहीं ।

(ख) : उपरोक्‍त (क) को मद्देनजर रखते हुए, प्रश्‍न ही नही उठता ।

(ग) : राष्‍ट्रीय अपराध रिकार्ड़ ब्‍यूरो (एनसीआरबी) के रिकार्ड़ के अनुसार, जो 2016 तक उपलब्‍ध है, महिलाओं के विरूद्ध अपराध के लिए यौन उत्‍पीड़न (भारतीय दंड संहिता की धारा-354 ए) के अंतर्गत् वर्ष 2016 के दौरान कुल 27,344 मामले दर्ज़ किए गए थे, जिसमें से वर्ष 2016 के दौरान 23416 व्‍यक्तियों को चार्जशीट किया गया था और 3370 व्‍यक्तियों को दोषी ठहराया गया था ।

(घ) : उपरोक्‍त (क) को मद्देनजर रखते हुए, प्रश्‍न ही नही उठता ।

\*\*\*\*\*